सार-समाचार

ठेका श्रमिको का दो घंटे कार्य बहिष्कार जारी

कोटा, (निसं)। एमबीएस अस्पताल में संविदा पर लगे कुछ श्रमिको का 13 दिन का बकाया वेतन भुगतान करने की मांग को लेकर ठेका श्रमिको ने गुरूवार को भी दो घंटे कार्य बहिष्कार कर विरोध दर्ज कराया। ठेका श्रमिकों ने अपनी मांग को लेकर एमबीएस अस्पताल की नई बिल्डिंग के बाहर धरना दिया और ठेकेदार के विरूद्व नारेबाजी की। ठेका श्रमिकों के दो घंटे कार्य बहिष्कार के चलतें रजिस्ट्रेशन काउंटर, दवा काउंटर, सहित अन्य कई काउंटरों पर मरीजों को खासा परेशानीयों का सामना करना पड़ा। ठेका संघ के अध्यक्ष दिलीप सिंगोर ने कहा कि निविंदा की शर्तो के अनुसार 13 दिन का भुगतान 7 तारीख से पहले करना था लेकिन अभी भी कई कर्मचारियों का 13 दिन का भुगतान नही हो पाया है। इसके विरोध में दो घंटे कार्य बहिष्कार करके विरोध दर्ज कराया है। उन्होने कहा कि अस्पताल प्रशासन से वार्ता हुई है जल्द ही सभी श्रमिको का भुगतान करने का आशवासन दिया है लेकिन जब तक बकाया वेतन भुगतान नही होता है तब तक आंदोलन जारी रहेगा।

समस्याओं का मौके पर हुआ समाधान तो चेहरों पर छाई मुस्कान

छबड़ा। ग्राम पंचायत भूलोन में गुरुवार को पंडित दीनदयाल उपाध्याय अंत्योदय सम्बल केम्प का आयोजन एसडीएम रामसिंह गुर्जर की अध्यक्षता में किया गया शिविर प्रभारी विजेंद्र सिंह बेलर ने बताया कि यहां पंचायतीराज विभाग के 4 पट्टे वितरण किये गए। सामाजिक सुरक्षा पेंशन के तहत 11 सत्यापन किये। पीमीजेएवाई योजना के 21 कार्ड का वितरण किया गया। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना के 29 परिवारों के सदस्यों की आधार सीडिंग की गई। कृषि विभाग द्वारा 18 मृदा स्वास्थ्य कार्ड वितरण किये गए। वही सीमाज्ञान के भी 2 प्रकरणों का निस्तारण किया गया।

रेजिडेन्ट डॉक्टर हड़ताल पर, मरीज हुए परेशान

कोटा, (निसं)। उदयपुर मे रेजिडेन्ट डॉक्टर रवि की मौत के मामले में कार्यवाही की मांग को लेकर रेजिडेन्ट डॉक्टर्स दूसरे दिन गुरूवार को भी हड़ताल पर रहे। रेजिडेन्ट डॉक्टरो की हड़ताल का असर आईपीडी व ओपीडी में भी देखने को मिल रहा है, हालांकि व्यवस्था को संभालने के लिये सीनीयर डॉक्टरो ने आईपीडी व ओपीडी में कमान संभाली हुई है। रेजिडेन्ट डॉक्टरो की हड़ताल का असर मरीजो की जांचों पर भी पड़ रहा है, ज्यादातर भर्ती मरीजों व इमरजेंसी में ही सोनोग्राफी की जा रही है कई ऑपरेशन भी टालने पड़ रहे है। रेजिडेन्ट डॉक्टर एसोसिएशन के अध्यक्ष डॉक्टर हेमंत शर्मा ने कहा कि हड़ताल के चलते मरीजो को परेशानी उठानी पड़ रही है, उन्होंने कहा कि रेजिडेन्ट डॉक्टर मरीजों के प्रति पूरी तरह से संवेदनशील है। उन्होंने कहा कि पीड़ित परिवार को न्याय मिल सकें इसके लिये सरकार व प्रशासन की ओर से वार्ता को आगे बढ़ाना चाहियें। जब तक मामले में कोई निष्पक्ष कार्यवाही नही होती तब तक रेजिडेन्ट डॉक्टरों का आंदोलन जारी रहेगा।

डिजिटल मीटर लगाने का विरोध

भवानीमंडी, (निसं)। एक निजी कम्पनी द्वारा भवानीमंडी में घर-घर में लगाये जा रहे डिजिटल नए विद्युत मीटर का कांग्रेस के पार्षदों ने विरोध करते हुए वार्ड वासियो के साथ उपखण्ड कार्यालय पहुँच कर राज्य सरकार के खिलाफ प्रदर्शन कर उपखण्ड अधिकारी को राज्यपाल के नाम ज्ञापन दिया है। पार्षद व कांग्रेस के युवा नेता राजिक अंसारी, पार्षद हरीश राठौर, वरुण मीणा के नेतृत्व में वार्ड की महिला पुरुष ने दिए ज्ञापन में बताया कि बिजली कम्पनी द्वारा आमजन को राहत देने की बजाय नया मीटर लगाकर परेशान किया जा रहा है राज्य सरकार की योजना के अनुसार प्रदेश में डिजिटल मीटर बदलने का निजी कम्पनी द्वारा कार्य किया जा रहा है पूर्व में लगे मीटर में जो बिजली खपत में उपयोग यूनिट आ रहे थे वह डिजिटल मीटर में अधिक आ रहै है जिसकी जाँच करवाई जाये उन्होंने चेतावनी दी है की इसके खिलाफ कोई कार्यवाही नहीं हुई तो कांग्रेस जन आंदोलन करेगी।

चंबल नदी के निचले इलाके के दौरे पर निकले कलक्टर

कोटा, (निसं)। जिला कलक्टर पीयूष समारिया गुरूवार प्रातः चंबल नदी के निचले इलाकों के दौरे पर निकले। उन्होंने नगर निगम के अधिकारियों से जलभराव के स्थिति में राहत एवं बचाव की व्यवस्थाओं के बारे में जानकारी ली। अधिकारियों ने बताया कि अधिक वर्षा होने पर पानी मुक्तिधाम तक आ जाता है। ऐसे में जलभराव की स्थिति में चंबल की डाउनस्ट्रीम में बसी बापू बस्ती, नयापुरा बस स्टेंड एवं आस-पास के क्षेत्र के लोगों को पास ही स्थित माध्यमिक

कोटा जिला कलेक्टर ने चंबल नदी के निचले इलाकों का दौरा किया।

- प्रतिदिन सफाई एवं कचरा उठाने के दिए निर्देश

विद्यालय में पहुंचाने की व्यवस्था रखी गई है। ड्रेनेज एवं सीवरेज प्लान साथ लेकर आएं जिला कलक्टर ने नयापुरा बस स्टेंड के पास स्थित कॉलोनी का भी दौरा किया। उन्होंने वहां नाले की सफाई व्यवस्था, सीवर चेंबर की सफाई एवं प्रतिदिन कचरा उठाने की व्यवस्थाओं के बारे में नगर निगम उत्तर आयुक्त अशोक त्यागी से जानकारी ली। उन्होंने ड्रेनेज एवं सीवरेज लाइनों के बारे में जानकारी ली। उन्होंने बालिता रोड़ पर बीड़ के बालाजी मंदिर के पास बने एसटीपी के पंप हाउस का भी निरीक्षण किया। उन्होंने पूछा कि बालिता में बने एसटीपी में कौन-कौनसी कॉलोनियों का पानी जाता है? नगर निगम अधिकारियों ने बताया कि निचली बस्तियों में पानी पंप के माध्यम से एसटीपी तक पहुंचाया जाता है। समारिया ने अधिकारियों से कहा कि अगले दौरे में ड्रेनेज एवं सीवरेज प्लान साथ लेकर आएं। जिला कलक्टर ने नयापुरा बस स्टेंड के पास स्थित कॉलोनी में लोगों से कचरे की गाड़ी आने का समय और सफाई व्यवस्था के बारे में पूछा। उन्होंने वहां बने सीवर चेंबर देखें और ड्रेनेज की सफाई की भी जानकारी ली। मौके पर सफाई निरीक्षक को बुलाकर उन्होंने प्रतिदिन सफाई सुनिश्चित करने एवं कचरा समय पर उठाने के निर्देश दिए। इस दौरान प्रशिक्षु आईएएस अनुराधा चौहान, नगर निगम दक्षिण आयुक्त अनुराग भार्गव, मुख्य अग्निशमन अधिकारी राकेश व्यास, अधीक्षण अभियंता दक्षिण महेश गोयल, अधीक्षण अभियंता उत्तर कुलदीप प्रेमी सहित अन्य अधिकारी उपस्थित थे।

कलक्टर ने ली वीडियो कांफ्रेंसिंग से बैठक-जिला कलक्टर पीयूष समारिया ने गुरुवार को वीडियो कांफ्रेंसिंग के माध्यम से सभी उपखंड अधिकारियों एवं तहसीलदारों की बैठक ली। बैठक का मुख्य उद्देश्य पंडित दीनदयाल उपाध्याय अन्त्योदय संबल पखवाड़ा के अंतर्गत आयोजित होने वाले शिविरों की प्रभावी मॉनिटरिंग एवं जनसेवाओं की सुनिश्चित उपलब्धता को लेकर दिशा-निर्देश देना रहा। कलक्टर ने कहा कि शिविरों में रास्तों के प्रकरण, आपसी सहमति से बंटवारे, सीमाज्ञान, पत्थरगढ़ी जैसे राजस्व विभाग से संबंधित मामलों का प्राथमिकता से त्वरित निस्तारण किया जाए ताकि आमजन को समय पर लाभ मिल सकें।

अंत्योदय शिविर के बहिष्कार की चेतावनी

छबड़ा। सरकारें आमजन व ग्रामीणो से जुड़ी समस्याओ के समाधान लिए समय-समय शिविर व रात्रि चौपाले आयोजित करती हैं। किंतु समस्याओ का समाधान नही होने पर ग्रामीणो में आक्रोश दिखाई देने लगा हैं। इससे आहत हो कडैयानोहर के ग्रामीणो ने आगामी आयोजित होने वाले पण्डित दीनदयाल उपाध्याय अंत्योदय शिविर के बहिष्कार की चेतावनी दी है। शंकरलाल नागर के अनुसार जिला और ब्लॉक स्तरीय रात्रि चौपालें भी ग्राम पंचायत मुख्यालयो पर आयोजित होती हैं। बुधवार को ग्रामीणों द्वारा कडैयानोहर प्रशासक को समस्याओ से अवगत करवाने पर उनके द्वारा एसडीएम को लम्बित मांगो को लेकर ज्ञापन दिया गया था। वही, इससे पूर्व भी कडैयानोहर से बाहरी मार्ग को पूर्ण रूप से अतिक्रमण मुक्त कराने, बिगड़ती पेयजल व्यवस्था, समय पर विद्युत आपूर्ति नही होने, केजीवीबी, गर्ल, सीनियर सेकंडरी स्कूल की जर्जर विद्युत लाइनो से हादसे की आशंका आदि समस्याओ के समाधान की मांग की जा चुकी हैं।

चारागाह-वन भूमि में बसे प्रभावितों को मिलेगी राहत

जयपुर, । बारां जिले में हथियादेह मध्यम सिंचाई परियोजना के डूब क्षेत्र में आने वाले 223 मकानों के प्रभावितों को विशेष अनुग्रह राशि दी जाएगी। ग्राम करवरीकलां, करवरीखुर्द और मजरा हथियादेह के प्रभावितों के लिए वित्त विभाग ने 6.89 करोड़ रुपये मुआवजे राशि की मंजूरी दी है।

यह स्वीकृति जल संसाधन मंत्री सुरेश सिंह रावत की संवेदनशील पहल और त्वरित निर्देशों के परिणामस्वरूप संभव हो पाई है।

पहले इन ग्रामों के 223 मकान राजकीय भूमि (चारागाह, सिवायचक एवं वन भूमि) में बसे होने के कारण पहले मुआवजा सूची में शामिल नहीं किए गए थे। इस संबंध में ग्रामीणों ने जल संसाधन मंत्री से भेंट कर अपनी समस्या रखी थी। रावत ने इसे गंभीरता से लेते हुए विभागीय प्रस्ताव को राज्य सरकार तक पहुंचाया। इसी के बाद वित्त विभाग से प्रस्ताव को मंजूरी दी गई है।

स्वीकृति जारी होने के बाद शीघ्र ही प्रभावित परिवारों को राशि वितरित की जाएगी। इससे मुआवजे का इंतजार कर रहे ग्रामीणों को इस राहत से संबल मिलेगा। साथ ही, परियोजना के निर्माण कार्यों को भी गति मिलेगी। इस निर्णय पर ग्रामीणों ने जल संसाधन मंत्री का आभार व्यक्त किया है।

- हथियादेह सिंचाई परियोजनाः
- डूब क्षेत्र के 223 मकानों के लिए मिलेगा 6.89 करोड़ रुपये का मुआवजा
- जल संसाधन मंत्री के प्रयासों से मिली स्वीकृति

मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के नेतृत्व में जल संरचनाओं के विकास कार्यों के साथ-साथ प्रभावित परिवारों को त्वरित न्याय दिलाना राज्य सरकार की प्राथमिकता है। मानवीय दृष्टिकोण से लिए निर्णय पर विशेष अनुग्रह राशि की स्वीकृति मिली है, जिससे प्रभावितों को संबलमिलेगा। - सुरेश सिंह रावत, जल संसाधन मंत्री

खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग को नोटिस

कोटा, (निसं)। अखिल भारतीय उपभोक्ता कांग्रेस ने भारत सरकार की तेल कंपनियों इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन एवं भारत पैट्रोलियम कारपोरेशन लिमिटेड एवं हिंदुस्तान पेट्रोलियम कार्पोरेशन पर अपने वितरकों के माध्यम से घरेलू प्रवर्तन के उपभोक्ताओं की जबरन ई-केवाईसी की जा रही है जो कि गैर कानूनी है। उपभोक्ता कांग्रेस ने इस संदर्भ में राजस्थान खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग के शासन सचिव को नोटिस जारी किया है। इस कृत्य के विरुद्ध कार्यवाही की मांग की है। उपभोक्ता कांग्रेस के महासचिव एवं राष्ट्रीय प्रवक्ता विजय सिंह ठाकुर ने बताया कि तेल कंपनियों की तह कार्रवाई संविधान के अनुच्छेद 21 में उल्लेखित निजता के अधिकार का उल्लंघन है। क्योंकि भारत सरकार द्वारा इस संबंध में कोई परिपत्र जारी नहीं किया है।द्रवित पैट्रोलियम गैस प्रताप वितरण अधिनियम आदेश-2000 में उल्लेखित प्रावधानों के विरुद्ध है।

विप्र फाउंडेशन की बैठक संपन्न, विभिन्न गतिविधियों पर चर्चा

कोटा, (निसं)। विप्र फाउंडेशन प्रदेश कार्यकारिणी कोटा शहर की बैठक राष्ट्रीय उपाध्यक्ष भुवनेश्वर शर्मा की अध्यक्षता में मंगलेश्वरी गार्डन, रंगबाड़ी रोड कोटा पर संपन्न हुई। बैठक में विप्र फाउंडेशन को गतिशील एवं मजबूत बनाने पर विस्तार से चर्चा की गई, इस अवसर पर प्रमोद शर्मा पूर्व अध्यक्ष बार एसोसिएशन कोटा को कोटा महानगर का जिला अध्यक्ष नियुक्त किए जाने पर उनका माला पहना, साफा बंधवा कर सम्मान किया गया, वही पूर्व अध्यक्ष जगदीश शर्मा को प्रदेश का वरिष्ठ उपाध्यक्ष व पदम गौतम पूर्व महामंत्री बार एसोसिएशन कोटा को प्रदेश महामंत्री नियुक्त किए जाने पर स्वागत किया गया।

इस अवसर पर प्रदेश संगठन महासचिव हरी सूदन शर्मा ने विप्र फाउंडेशन में चल रहे, विभिन्न कार्यों की विस्तार से जानकार दी और सदस्यता अभियान का शुभारंभ करते हुए कहा कि 29 जून को विप्र फाउंडेशन द्वारा समाज के प्रतिभाशाली बच्चों का सम्मान समारोह आयोजित किया जाएगा, जिसमें समाज के 85 प्रतिशत से अधिक अंक प्राप्त करने वाले दसवीं, 12वीं के छात्रों को सम्मानित किया जाएगा।

आम सूचना

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मेरे अभिभाष्य अली मोहम्मद पुत्र नासीर मोहम्मद निवासी वाके 3-फ-14 विज्ञान नगर कोटा (राज.) के है जो कि एक अचल सम्पत्ति वाके मकान संख्या 16 विज्ञान नगर स्पेशल योजना कोटा जिसकी पैमाइश 3600 वर्गफीट है जो कि उपरोक्त सम्पत्ति मेरे पक्षकार को जरिये रजिस्टर्ड रिलीज डीड दिनांक 19.06.2025 को श्रीमती शमीम बानो पुत्री अली मोहम्मद, अली अब्बास पुत्र अली मोहम्मद एवं परवेज अली पुत्र अली मोहम्मद द्वारा प्राप्त हुई थी। सर्वसाधारण या किसी भी व्यक्ति या ऋणदात्री संस्था को उपरोक्त लिखित सम्पत्ति के मालीकाना हक पर कोई उज्र या आपत्ति हो तो पन्द्रह दिवस के भीतर-भीतर आपत्ति लिखित में दर्ज करे अन्यथा बाद गुजरने मियाद किसी भी व्यक्ति या संस्था की कोई आपत्ति शून्य, अप्रभावी व अमान्य समझी जावेगी।
दिनांक 26.06.2025

हरीश कुमार शर्मा एडवोकेट
5-एच-5 तलवंडी कोटा (राज.)
मो. 9828086608

आम सूचना

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि अचल सम्पत्ति मकान नम्बर 8 का भाग, वाके ग्राम सकतपुरा तहसील लाडपुरा जिला कोटा (राज.) में स्थित है, उक्त सम्पत्ति को उपखण्ड अधिकारी भूमि रुपान्तरण कोटा से श्रीमती विमला देवी को जरिये पट्टा विलेख दिनांक 11.06.1984 को प्राप्त हुई थी, तत्पश्चात श्रीमती विमला देवी ने बेचान जरिये रजिस्टर्ड विक्रय पत्र दिनांक 08.08.1989 को श्री ताराचन्द गहरवार के पक्ष में कर दिया, तत्पश्चात श्री तारा चन्द गहरवार ने बेचान जरिये रजिस्टर्ड विक्रय पत्र दिनांक 20.04.1993 को श्री शिव प्रसाद मिश्रा के पक्ष में कर दिया, तत्पश्चात श्री शिव प्रसाद मिश्रा ने बेचान जरिये रजिस्टर्ड विक्रय पत्र दिनांक 31.07.1995 को श्री राम प्रसाद लोधा के पक्ष में कर दिया, तत्पश्चात श्री राम प्रसाद लोधा का स्वर्गवास दिनांक 15.01.2011 को हो गया, तत्पश्चात रामप्रसाद लोधा के स्वर्गवास के पश्चात उनके विधिक वारिसान श्री मुकेश कुमार लोधा एवं श्री मनोज कुमार ने जरिये रजिस्टर्ड हक त्याग पत्र (रिलीज डीड) दिनांक 09.03.2021 को श्रीमती रेशम देवी के पक्ष में कर दिया एवं श्रीमती सुनीता लोधा पुत्री स्वर्गीय श्री रामप्रसाद जी लोधा ने अपना 1/4 अविभाजित हिस्सा को जरिये रजिस्टर्ड हक त्याग पत्र (रिलीज डीड) दिनांक 10.06.2025 को श्रीमती रेशम देवी के पक्ष में कर दिया, जिस बाबत मेरी अभिभाष्या श्रीमती रेशम देवी पत्नी स्वर्गीय श्री रामप्रसाद लोधा वित्तीय संस्था CHOLAMANDLAM INVESTMENT & FINANCE CO. LTD. से ऋण ले रही है, सर्व साधारण को उक्त सम्पत्ति के विधिक वारिसान, मालीकाना हक स्वामित्व, कब्जे व अधिकार पर कोई आपत्ति हो तो सात दिवस में लिखित में मय दस्तावेज सूचित करें अन्यथा आपत्ति शून्य, अप्रभावी व अमान्य समझी जावेगी।
दिनांक: 26.06.2025

For: SRM Partners Kota
Off No. 127 Santwani Sadan
Ballabh Bari RTNER KOTA
Mob. 7737426847

आम सूचना

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मेरी पक्षकारा श्रीमती अनोख बाई पुत्री भोलूराम जी एवं पत्नी श्री सोहन लाल जाति लश्करी निवासी नयापुरा कोटा द्वारा आराजीयात खसरा नम्बर 84, 84/1, 85 कुल किता 3 कुल रकबा 3.02 हे. वाके ग्राम नयानोहरा पटवार हल्का नया नोहरा तहसील लाडपुरा जिला कोटा राज. के संबंध में अपने निहित हिस्से बाबत उपखण्ड अधिकारी कोटा एवं आरएए कोटा एवं एवं राजस्व मण्डल अजमेर में बउनवान अनोख बाई बनाम मिश्री लाल वगैरहा के प्रकरण लम्बित है तथा उक्त आराजीयात को खातेदारान कमला बाई, जशोदा बाई एवं प्रेम बाई द्वारा उक्त आराजीयात को बेचान करने का प्रयास किया जा रहा है तथा उक्त प्रकरणों के लम्बित रहते उक्त आराजीयात को किसी प्रकार से रहन व बेचान (खरीद फरोख्त) तथा खुर्द बुर्द नहीं करे ऐसा कृत्य न तो स्वयं करे और न ही अपने ऐजेन्ट से होने देवे। क्योंकि प्रकरणों के लम्बित रहते हुए उक्त आराजीयात को खातेदारान द्वारा रहन व बैय व खुर्द बुर्द आदि करने का अधिकार प्राप्त नहीं है। अन्यथा उसकी जिम्मेदारी स्वयं क्रेता की होगी।

भवदीय
घनश्याम नागर एडवोकेट
मो. 9829189956

कार्यालय नगर निगम, कोटा-दक्षिण, कोटा राजस्थान

क्रमांक:-ननिको.-द./उपायुक्त द्वितीय/भ.नि.अनु./2025/4198 दिनांक:- 25.6.25

स्वामित्व हस्तांतरण बाबत सार्वजनिक विज्ञप्ति

सर्व साधारण को सूचित किया जाता है कि श्री लक्ष्मण सिंह चौहान पुत्र स्व. श्री गोविन्द सिंह निवासी 7-बी-23 महावीर नगर तृतीय कोटा द्वारा आवेदन प्रस्तुत कर भूखण्ड संख्या 7-बी-23 महावीर नगर तृतीय कोटा क्षेत्रफल 90 वर्गमीटर का स्वामित्व स्वयं के नाम हस्तान्तरण करने का आवेदन किया है। भूखण्ड संख्या 7-बी-23 महावीर नगर तृतीय कोटा क्षेत्रफल 90 वर्गमीटर का आवंटन पत्र क्रमांक/आर.ई./के.टी./चतुर्थ/1763 दिनांक 30.12.1986 को श्री गोविन्द सिंह पुत्र श्री रेवल सिंह को जारी किया गया है। श्री गोविन्द सिंह की मृत्यु दिनांक 16.12.2014 को हो जाने के उपरान्त उनके जिवित विधिक वारिसान 1. श्रीमती जानकी देवी पत्नी स्व. श्री गोविन्द सिंह 2. श्री प्रेम सिंह चौहान पुत्र स्व.श्री गोविन्द सिंह चौहान 3. श्रीमती सीमा सिंह पुत्री स्व. श्री गोविन्द सिंह द्वारा उक्त भूखण्ड का रजिस्टर्ड हक त्याग पत्र दिनांक 27.08.2021 को अपना-अपना हक श्री लक्ष्मण सिंह चौहान पुत्र स्व. श्री गोविन्द सिंह के पक्ष में त्याग दिया गया है। उक्त भूखण्ड संख्या 7-बी-23 महावीर नगर तृतीय, कोटा आवेदक द्वारा प्रस्तुत आवेदन अनुसार नगर निगम कोटा दक्षिण उक्त भूखण्ड के स्वामित्व नाम हस्तांतरण की कार्यवाही की जा रही है।

उक्त भूखण्ड का स्वामित्व नाम हस्तांतरण करने में किसी व्यक्ति संस्था या अन्य किसी को भी उक्त भूखण्ड से संबंध रखता है, कोई आपत्ति हो तो विज्ञप्ति जारी होने के 07 दिवस में अपनी आपत्ति लिखित में उपायुक्त द्वितीय कक्ष में प्रस्तुत करें। बाद मियाद आपत्ति मान्य नही होगी।

उपायुक्त नगर निगम कोटा, दक्षिण

अवैध देशी कट्टे सहित आरोपी गिरफ्तार

कोटा, (निसं)। उद्योग नगर थाना पुलिस टीम ने इलाके में गश्त के दौरान मुखबीर की सूचना पर कार्यवाही करते हुए अवैध देशी कट्टे सहित आरोपी को गिरफ्तार किया है। उद्योग नगर थानाधिकार जितेन्द्र सिंह ने बताया कि थाने के सहायक उपनिरीक्षक हरविर सिंह मय जाप्ता थानें से रवाना हुए इलाके में गश्त के दौरान मुखबीर से सूचना मिली कि न्यू मोटर मार्केट मल्टीमेटल के सामने कोई व्यक्ति अवैध हथियार लेकर खड़ा है, मुखबीर की सूचना पर पुलिस टीम मौके पर पहुंची और मुखबीर द्वारा बताये गये हुलिये के आधार पर व्यक्ति को डिटेन कर उसकी तलाशी ली तो उसके पास से अवैध देशी कट्टा बरामद किया। पुलिस टीम ने मौके पर आर्म्स एक्ट में कार्यवाही करते हुए इन्द्रागांधी नगर निवासी दिलकुश (24) को गिरफ्तार किया। थानाधिकारी ने बताया कि पकड़े गये आरोपी से अनुसंधान के बाद आरोपी को न्यायालय में पेश किया गया। जहां से आरोपी दिलकुश को न्यायिक अभिरक्षा में भेज दिया गया।

राजस्थान पुजारी सेवक महासंघ ने मुख्यमंत्री के नाम कलेक्टर को सौंपा ज्ञापन

कोटा, (निसं)। राजस्थान पुजारी सेवक महासंघ ने राजस्थान में चल रहे मुख्यमंत्री को ज्ञापन महाभियान में कोटा शहर जिला व कोटा संभाग का संयुक्त ज्ञापन 11 सूत्रीय मांगों के साथ कोटा जिला कलेक्टर को दिया। यह जानकारी देते हुए पुजारी सेवक महासंघ के प्रदेशाध्यक्ष रम्मू पंडित ने बताया कि प्रदेश में हुए पुजारियों पर अत्याचार के विरोध में एक 11 सूत्रीय मांग पत्र मुख्यमंत्री को राजस्थान के सभी संभागों, जिलों व तहसीलों में पिछले दो महीनों से अभियान के रूप में दिया जा रहा है। इन ज्ञापन में पुजारियों की 11 मांगे हैं जिसमें प्रमुख रूप से पुजारियों के 1991 में मंदिर माफी की जमीनों से हटाए गए नामों को वापस पुजारियों के नाम किए जाने समेत पुजारियों को सुरक्षा दिए जाने, अतिक्रमणों से मंदिर की जमीनों को मुक्त किए जाने, भूमाफियाओं के खिलाफ अभियान चलाकर कार्यवाही किए जाने सहित 11 सूत्रीय मांग पत्र है जिसका पुजारी सेवक महासंघ मुख्यमंत्री से मांग की गई है कि सभी मांगों को अविलंब समाधान किया जावे, अन्यथा 30 जून को प्रदेश कार्यकारिणी की मीटिंग सहेलियों की बाड़ी उदयपुर में बुलाई गई है जिसमें सभी संभागों से एवं सभी जिलों से जिलाध्यक्ष, जिला महामंत्री व प्रदेश कार्यकारिणी के सभी सदस्य भाग लेंगे। मीटिंग में आने वाले विधानसभा सत्र में सरकार के खिलाफ आंदोलन की रूपरेखा बनाई जाएगी।

यह आंदोलन अब तक का सबसे बड़ा आंदोलन होगा जिसकी समस्त जिम्मेदारी राजस्थान सरकार की होगी। प्रदेशाध्यक्ष रम्मू पंडित ने भजनलाल सरकार से यह मांग की है कि वसुंधरा राजे की सरकार में 12.09.2018 को जो प्रस्ताव लिए गए थे उनको लागू करने से सभी पुजारियों की सभी समस्याओं का समाधान होता है लेकिन बार-बार ध्यान आकर्षण करने के बाद भी भजनलाल सरकार ने कोई ध्यान नहीं दिया।

ऐसा लगता है कि राजस्थान में सरकार नाम की कोई चीज ही नहीं है। अभी तक राजस्थान की विधानसभा में कांग्रेस-बीजेपी के सभी विधायकों को पिछले सत्र में पुजारी सेवक महासंघ ने ज्ञापन दिया था जिसपर कई विधायकों ने विधानसभा में पुजारियों की समस्याओं को उठाया था लेकिन मुख्यमंत्री की ओर से पुजारियों के हित में दो शब्द भी अभी तक नहीं कहे गए हैं। जिससे ऐसा लगता है कि यह जन विरोधी, पुजारी विरोधी और ब्राह्मण विरोधी सरकार है। राजस्थान सरकार के कई मंत्री राजस्थान के कई जिलों में भूमाफियाओं को संरक्षण देकर मंदिरों व मंदिर माफी की जमीनों पर अतिक्रमण करवा रहे हैं और सरकार से तीन लाख मंदिरों के पुजारियों का मोह भंग हो रहा है। इससे आने वाले चुनाव में भाजपा के वोट बैंक में कमी आएगी। कोटा जिला कलेक्टर को ज्ञापन देने वालों में एक दर्जन पुजारी शामिल हुए जिसमें केवल पांच सदस्यों का प्रतिनिधि मंडल को ही कलेक्टर से मिलने दिया गया जिसमें प्रमुख रूप से प्रदेश अध्यक्ष रम्मू पंडित, प्रदेश महामंत्री जगदीश गौतम (चांदमारी बालाजी), जिलाध्यक्ष पंडित रामावतार शर्मा, जिला महामंत्री गोपाल शर्मा, कपिल गौतम व महावीर षर्मा उपस्थित रहे।

राजस्थान आवासन मण्डल कोटा वृत्त कोटा

क्रमांक 729 जाहिर आम सूचना दिनांक - 24.6.25

आवास संख्या 1-ट-27 दादाबाड़ी कोटा का आवंटन मंडल द्वारा श्रीमती ईश्वरी देवी पत्नी श्री ऐंशीराम को किया गया था। इस आवास का पंजीयन श्रीमती ईश्वरी देवी पत्नी श्री ऐंशीराम के नाम दिनांक 21.07.1990 को अपने पक्ष में करवाया गया। मृत्यु प्रमाण पत्र के आधार पर श्रीमती ईश्वरी देवी पत्नी श्री ऐंशीराम की मृत्यु दिनांक 18.11.2020 को हो चुकी है। श्रीमती ईश्वरी देवी पत्नी श्री ऐंशीराम द्वारा इस आवास की वसीयत अपने जीवनकाल में जरिये वसीयत नामा आलेखित कर दिनांक 28.12.1998 को श्री सुरेश कुमार पुत्र श्री मंगत राम के पक्ष में आलेखित की गई। श्री सुरेश कुमार पुत्र श्री मंगत राम द्वारा आवेदन पत्र, क्षतिपूर्ति बन्धक पत्र, शपथ पत्र, मृत्यु प्रमाण पत्र एवं वसीयत नामा के आधार पर उक्त आवास का हस्तान्तरण/प्रतिस्थापन किए जाने हेतु आवेदन किया है।

अतः उक्त आवास का हस्तांतरण/प्रतिस्थापन आवेदन पत्र, क्षतिपूर्ति बन्धक पत्र, शपथ पत्र, घोषणा पत्र, मृत्यु प्रमाण पत्र एवं वसीयत नामा के आधार पर श्री सुरेश कुमार पुत्र श्री मंगत राम के नाम करने में किसी भी पक्षकार/व्यक्ति को कोई आपत्ति हो तो 15 दिवस के अन्दर इस कार्यालय को सूचित करें। अन्यथा यह मानते हुये कि उक्त आवास का हस्तांतरण/प्रतिस्थापन श्री सुरेश कुमार पुत्र श्री मंगत राम के नाम किये जाने में किसी भी व्यक्ति/पक्षकार को कोई आपत्ति नहीं है। उक्त आवास का हस्तांतरण/प्रतिस्थापन श्री सुरेश कुमार पुत्र श्री मंगत राम के नाम कर दिया जावेगा।

उप आवासन आयुक्त राजस्थान आवासन मण्डल, कोटा वृत्त कोटा

कार्यालय नगर पालिका सांगोद जिला कोटा (राज.)

क्रमांक/न.पा.सा/भूमि/2025-26/1506-7 दिनांक:-26.6.25

सार्वजनिक आपत्ति सूचना

सर्व साधारण को सूचना दी जाती है कि नगर पालिका सांगोद में निम्नलिखित व्यक्ति द्वारा पंजीकृत विक्रय विलेख के आधार पर पट्टा नामान्तरण हेतु ऑनलाईन आवेदन किया गया है। अतः निम्नानुसार व्यक्ति के आवेदन पर पट्टा नामान्तरण में किसी को कोई आपत्ति हो तो नगर पालिका कार्यालय में 7 दिवस में मय दस्तावेज अपनी आपत्ति प्रस्तुत कर सकते है अन्यथा बाद मियाद पट्टा नामान्तरण कर दिया जावेगा जिसका विवरण निम्नानुसार है:-

क्र. सं.	नाम/पिता/पति का नाम व पता	पट्टाधारक का नाम	पट्टा संख्या	साईज (वर्गगज)	चतुर्थ सीमाएं उत्तर	दक्षिण	पूर्व	पश्चिम
1	श्री अंकित शर्मा आत्मज बनवारी लाल शर्मा जाति ब्राह्मण निवासी वार्ड नं. 11 टोडी पाडा सांगोद	श्री विनोद कुमार आत्मज गोरधंन जाति स्वर्गकार निवासी सांगोद	57 दिनांक 26.07.2013	83.33	आम रास्ता	भूखंड संख्या 36	आम रास्ता	सत्यनारायण

अधिशाषी अधिकारी
नगर पालिका सांगोद

कार्यालय कोटा विकास प्राधिकरण, कोटा

क्रमांक:-एफ-15/क.भू.रू./2025/459 विज्ञप्ति दिनांक:- 12.6.2025

सर्व साधारण को जर्ये सूचित किया जाता है कि ग्राम रंगतालाब उर्फ कालातालाब में स्थित कृषि भूमि योजना गुलाब विहार खसरा नं. 387 के भूखण्ड संख्या 10 ऑनलाईन नाम हस्तान्तरण हेतु प्राधिकरण कार्यालय में श्रीमती आशा मीणा पत्नि श्री विक्रम सिंह मीणा निवासी मोहचा का पुरा वजीरपुरा मोहचा सवाई माधोपुर द्वारा आवेदन पत्र प्रस्तुत किया है। उक्त भूखण्ड का पट्टा क्रमांक 2200 दिनांक 08.02.2022 द्वारा श्री विनय नागर पुत्र श्री रामेश्वर प्रसाद नागर एवं राकेश बाई पत्नि श्री विनय नागर के नाम जारी किया गया था। पट्टेधारी द्वारा अनापत्ति प्रमाण पत्र प्राप्त करे बिना बैंक ऑफ बड़ौदा बैंक से ऋण लिया गया। ऋण का भुगतान नहीं करने के कारण बैंक द्वारा उक्त भूखण्ड को कुर्क कर आवेदक कुलदीप सोनी को जर्ये रजि. विक्रय पत्र दिनांक 29.03.2022 को बैचान किया गया है।

अतः श्रीमती आशा मीणा पत्नि श्री विक्रम सिंह मीणा के नाम हस्तान्तरण जारी किये जाने में यदि किसी व्यक्ति को कोई आपत्ति हो तो अन्दर 7 योम कार्यालय में उपस्थित होकर अथवा लिखित में अद्योहस्ताक्षरकर्ता को प्रस्तुत करें। मियाद गुजर जाने के बाद आपत्ति मान्य नही होगी।

उपायुक्त कोटा विकास प्राधिकरण, कोटा

कार्यालय प्राधिकृत अधिकारी कोटा विकास प्राधिकरण (केडीए)

क्रमांक: LU2012/KOT/2025-26/101016 लोक सूचना दि. 26.06.2025

श्री RAJESH SHARMA पुत्र श्री DWARKA LAL जाति BRAHAMAN निवासी NEAR PETROL PUMP SOGARIYA KOTA ने इस कार्यालय मे नीचे उल्लिखित भूमि का **आवासीय** प्रयोजन के उपयोग हेतु ऐसी भूमि के अपने अभिधृति अधिकारी के निर्वापन के लिए आवेदन प्रस्तुत किया है, अर्थात्:-

क्र. सं.	ग्राम तहसील व जिले का नाम	खातेदार का नाम	खसरा सं.	क्षेत्रफल (वर्ग मीटर)	क्षेत्रफल (हेक्टे.)
1.	भदाना, लाडपुरा (कोटा)	KISHAN CHAND S/O CHITTAR LAL DHAKAD NIWASI BHADANA	778	10200	1.02
2.	भदाना, लाडपुरा (कोटा)	(1) JUGRAJ S/O RAMKARAN HISSA 1/3 (2) JANKI BAI W/O LATE RAMKARAN HISSA 1/3